न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिलाबून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–227 / 2022 दायर दिनांक: 12.09.2022

GCMS NO:- 2022/399

पीठासीन अधिकारी :–श्योराम (आर.ए.एस.)

1. गिरिराज पुत्र गोपीलाल जाति धाकड निवासी ग्राम रामपुरिया तहसील नैनवां जिला बून्दी।
2. छोटी पत्नी गोपीलाल जाति धाकड निवासी ग्राम रामपुरिया तहसील नैनवां जिला बून्दी।
3. राजन्ती पुत्री गोपीलाल पत्नी मनराज जाति धाकड हाल निवासी ग्राम चोरू तहसील उनियारा जिला टोंक।
4. लाड पुत्री गोपीलाल पत्नी भंवरलाल जाति धाकड निवासी ग्राम कैथुदा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
5. रामलाल पुत्र गोपीलाल जाति धाकड निवासी ग्राम रामपुरिया तहसील नैनवां जिला बून्दी।
6. शंकरलाल पुत्र चतुरभुज जाति धाकड निवासी ग्राम रामपुरिया तहसील नैनवां जिला बून्दी।

–प्रार्थीगण–

बनाम

1. मोहन पुत्र गोपीलाल जाति धाकड निवासी ग्राम रामपुरिया तहसील नैनवां जिला बून्दी।
2. रमेश चन्द पुत्र जगन्नाथ जाति धाकड निवासी ग्राम रामपुरिया तहसील नैनवां जिला बून्दी।
3. कोकला बाई पत्नी प्रकाश जाति धाकड निवासी ग्राम रामपुरिया तहसील नैनवां जिला बून्दी।
4. लाड बाई पत्नी रामराज जाति धाकड निवासी ग्राम रामपुरिया तहसील नैनवां जिला बून्दी।
5. सूरजा पत्नी कमलेश जाति धाकड निवासी ग्राम रामपुरिया तहसील नैनवां जिला बून्दी।
6. सोभागी पत्नी भरतराज जाति धाकड निवासी ग्राम रामपुरिया तहसील नैनवां जिला बून्दी।
7. जगदीश पुत्र बरधा जाति धाकड निवासी ग्राम रामपुरिया तहसील नैनवां जिला बून्दी।
8. अनिता पुत्री गोपी बालिग पत्नी जगदीश जाति धाकड हाल निवासी धाकडो का रामपुरा ग्राम पंचायत ककोड तहसील उनियारा जिला टोंक।
9. छोटया उर्फ सुवालाल पुत्र मूल्या बालिग जाति धाकड हाल निवासी ग्राम चोरू तहसील उनियारा जिला टोंक।
10. फरमा बाई पत्नी गोपी जाति धाकड हाल निवासी ग्राम चोरू तहसील उनियारा जिला टोंक।
11. ममता पुत्री गोपी बालिग पत्नी राजाराम जाति धाकड हाल निवासी ग्राम बालापुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
12. महावीर पुत्र गोपी जाति धाकड हाल निवासी ग्राम चोरू तहसील उनियारा जिला टोंक।
13. रामधन पुत्र बरधा जाति धाकड निवासी ग्राम रामपुरिया तहसील नैनवां जिला बून्दी।
14. भू–स्वामी जर्ये तहसीलदार साहब नैनवां जिला बून्दी।
15. एस बी आई शाखा नैनवा जिला बून्दी शाखा प्रबन्धक महोदय, शाखा नैनवॉ जिला बून्दी।
16. एस.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड शाखा सवाई माधोपुर, शाखा प्रबन्धक महोदय, शाखा सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर।
17. बैंक ऑफ बडौदा शाखा नैनवा जिला बून्दी शाखा प्रबन्धक महोदय, शाखा नैनवॉ जिला बून्दी।
18. बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा समिधी जिला बून्दी शाखा प्रबन्धक महोदय, शाखा समिधी जिला बून्दी।

––प्रत्यार्थीगण––

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 251 ए आर.टी एक्ट

उपस्थिति–

प्रार्थीगण की ओर से वकील श्री सत्यनारायण लवानिया

अप्रार्थीगण की ओर से वकील श्री रामस्वरूप धाकड़

निर्णय दिनांक 28.08.2023

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.10.10 16:09:20 IST
Reason: SelfAttested

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन [illegible] पटवार मण्डल मानपुरा तहसील नैनवां में कृषि भूमि खाता संख्या 77 के खसरा सं[illegible] रकबा 0.7038 हैक्टेयर व खसरा संख्या 231 रकबा 0.5420 हैक्टेयर कुल [illegible] भूमि प्रार्थीगण व प्रत्यार्थी 1 के संयुक्त आधिपत्य एवं खातेदारी कृषि भूमि स्थित है [illegible] खाता संख्या 79 के खसरा संख्या 336 रकबा 0.4369 हैक्टेयर भूमि प्रत्यार्थीगण संख्या 2 लगायत 6 के संयुक्त आधिपत्य एवं खातेदारी कृषि भूमि स्थित है तथा खाता संख्या 90 के खसरा संख्या [illegible]2 रकबा 1.0760 हैक्टेयर प्रत्यार्थीगण संख्या 7 लगायत 13 के संयुक्त आधिपत्य एवं खातेदारी कृषि भूमि स्थित है । यह कि प्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 228 में आने जाने, बैल गाडी, हल, कुली व ट्रेक्टर–ट्रोली आदि उपकरण लाने ले जाने का सदैव रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रास्ता खसरा संख्या 335 से होकर खसरा संख्या 336 व 312 के बीच की पूर्व पश्चिम उत्तरी ओर की मेर के दोनों तरफ होकर है। इसके बाद प्रार्थीगण अपनी अन्य कृषि भूमि खसरा संख्या 231 में आते जाते है। इस रास्ते को

शिष्ट "अ" में अ विन्दू से व विन्दू तक लाल लाईनो से दर्शाया गया है। यह कि उक्त रास्ते के लावा प्रार्थीगण के खाते की जमीन पर आने जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। यह कि अप्रार्थी संख्या 2 रमेशचन्द व अप्रार्थी संख्या 7 जगदीश ने दिनांक 11.07.2021 को दानों तरफ अपने अपने खेतों में पत्थर के चीरे गाडकर 12 फीट चौडे रास्ते को सकडा कर दिया है जिसमें केवल पैदल निकला जा सकता है अन्य कोई साधन आ जा नही सकते है। यह प्रार्थना पत्र का कारण है। अतः प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थीगण को अपने खाते की भूमि खसरा संख्या 228 पर आने जाने,वैल गाडी, हल, कुली, ट्रेक्टर–ट्रोली व कृषि उपज लाने ले जाने के लिऐ खसरा संख्या 336 व 312 के वीच की मेर के दोनों तरफ होकर, जिसे परिशिष्ट "अ" में अ विन्दू से व विन्दू तक लाल लाईनो से दर्शाया गया है, 15 फिट चौडा रास्ता राजस्व रिकॉर्ड एवं नक्शा में कायम करवाया जाना आवश्यक है। जिसकी राशि प्रार्थीगण नियमानुसार जमा करवाने को तैयार है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में परिशिष्ट अ ,नकल जमावंदी, नकल नक्शा ट्रेस तथा शपथ–पत्र आदि पेश किये।

रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में तहसीलदार नैनवां से रिपोर्ट दिनांक 30.11.2021 प्राप्त की गई जिसके अनुसार प्रार्थीगण द्वारा खसरा संख्या 228 पर चाहे गए रास्ता हेतु खसरा संख्या 335 गे0 मु0 रास्ता से खसरा संख्या 336 के दक्षिण से रास्ता दिया जाना प्रस्तावित किया गया है। प्रार्थीगण की भूमि तक पहुंचने हेतु अन्य कोई रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही है। अतः प्रस्तावित रास्ता के लिए खसरा संख्या 336 रकवा 0.4369 हैक्टेयर मे से 36 गठ्ठा • 2 गठ्ठा = 72 वर्ग गठ्ठा = 3136 वर्ग फीट अर्थात 0.0291 हैक्टेयर भूमि दिया जाना प्रस्तावित है जो प्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 228 में पहुंचता है जिसे परिशिष्ट "क" मे लाल स्याही से दर्शाया गया है।

पत्रावली में दिनांक 30.11.2021 को प्रशासन गांवों के संग अभियान केम्प कोर्ट गंभीरा में निर्णित किया गया। माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय कोटा के निर्णय दिनांक 08.08.2022 से इस न्यायालय का निर्णय दिनांक 30.11.2021 निरस्त कर अपीलान्टगण को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया। माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय कोटा के निर्णय की अनुपालना में पत्रावली दिनांक 12.09.2022 को पुनः दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थीगण/अपीलान्टगण को जवाव प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया।

अपीलान्टगण/अप्रार्थीगण 2 लगायत 6 की ओर से जवाव प्रस्तुत किया गया। जिसके अनुसार प्रार्थीगण खसरा संख्या 228 व 321 में आने जाने हेतु रास्ते खसरा संख्या 335 से खसरा संख्या 336,312,311/457,311,232 के अडवा निकले हुए रास्ते से अपनी कृषि भूमि खसरा संख्या 228,231 पर आते जाते है। एवं अपने संसाधनों को लाते ले जाते चले आ रहे है। उक्त रास्ता आज भी विद्यमान है लेकिन प्रार्थीगण ने पैसों के दम पर मिलीभगत व साठ गांठ करके अप्रार्थीगण की कृषि भूमि की मेर से नया रास्ता प्रस्तावित करवाना चाहते है। यह कि प्रार्थीगण के खसरा सं0 228,231 में जाने हेतु निकटतक रास्ता खसरा संख्या 312 में से होकर जाता है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे। अप्रार्थीगण ने अपने जवाब के समर्थन में किसी प्रकार के दस्तावेज, नक्शा ट्रेस अथवा कोई साक्ष्य पेश नहीं किये गए।

हमने प्रार्थना–पत्र, शपथ–पत्र, प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेज, जवाब अप्रार्थीगण एवं तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट का अवलोकन किया। उपस्थित वकील पक्षकारान की प्रार्थना पत्र में बहस सुनी गयी। तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट दिनांक 30.11.2021 का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण को रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.11.2021 के अनुसार ही ग्राम रामपुरिया पटवार मण्डल मानपुरा तहसील नैनवां में कृषि भूमि खाता संख्या 77 के खसरा संख्या 228 रकवा 0.7038 हैक्टेयर भूमि पर पहुंचने के लिए खसरा संख्या 335 गे0 मु0 रास्ता से खसरा संख्या 336 के दक्षिण से रास्ता दिया जाने के आदेश दिये जाते है। प्रस्तावित रास्ता अनुसार खसरा संख्या 336 रकबा 0.4369 हैक्टेयर मे से 36 गठ्ठा • 2 गठ्ठा = 72 वर्ग गठ्ठा = 3136 वर्ग फीट अर्थात 0.0291 हैक्टेयर भूमि, जिसे परिशिष्ट "क" में लाल स्याही से अंकित किया गया है, के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। जितनी भूमि रास्ते के उपयोग में आयेगी उतनी भूमि की कीमत का नियमानुसार लेकर राजकोष में जमा होने के उपरान्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किया जावे। पूर्व में यदि उक्त रास्ते के सम्बन्ध में राजकोष में यदि कोई राशि/चालान जमा करवा दिया गया है तो राशि समायोजित की जावें। नक्शा परिशिष्ट को परिशिष्ट 'क' नाम दिया गया है जो न्यायालय निर्णय का अभिन्न अंग होगा। तहसीलदार नैनवां को आदेशित किया जाता है कि मौके पर रास्ता बहाल कर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शे में दर्ज किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.10.10 16:09:20 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 28.08.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बुन्दी)

परिशिष्ट - "क"

ग्राम- रामपुरिया

तह- नैनवां (बूंदी)

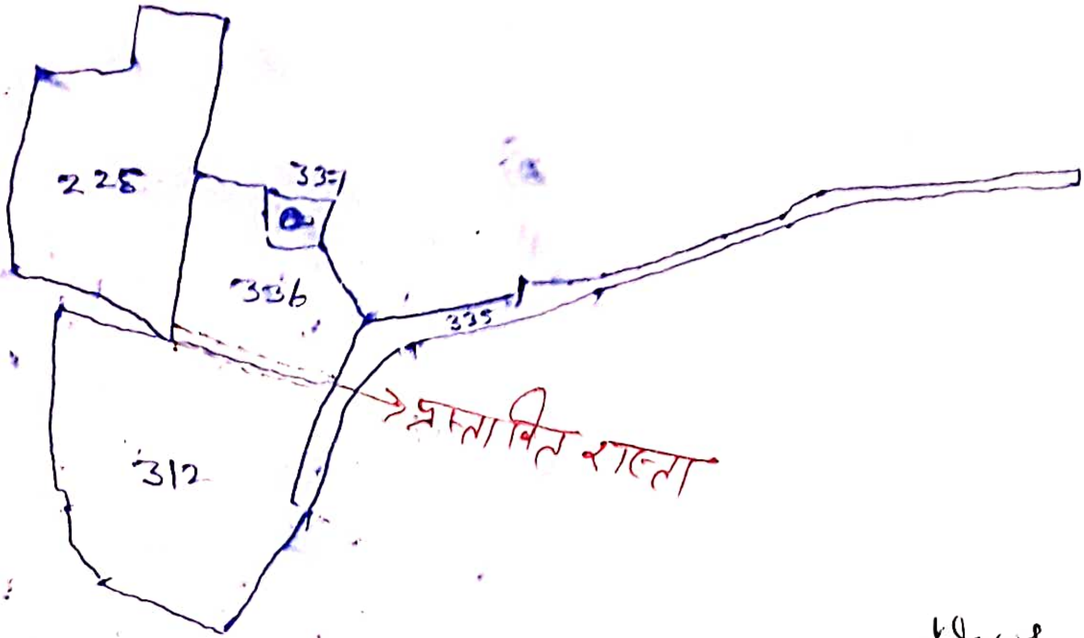

राज. कार्य हेतु नि: शुल्क भूमि

पटवार मानपुरा

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.10.10 16:09:20 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां जिला बून्दी (राज0)

क्रमांकः– रीडर/20.23 262 दिनांकः– 1.9.23

प्रेषितिः–

तहसीलदार
नैनवां।

विषयः–न्यायालय निर्णय की पालना करने हेतु। पुराना 93/प्रा०पत्र/2021

वाद/प्रार्थना पत्र संख्या नया 227/प्रा०पत्र/2022

बउनवान गिरिराज बनाम मोहन

निर्णय दिनांक 28/8/23

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वाद पत्र/प्रार्थना पत्र के निर्णयानुसार पत्र के साथ प्राथमिक डिक्री/अन्तिम डिक्री/अंतिम निर्णय की प्रति वास्ते पालना हेतु भिजवायी जा रही है। पालना अन्दर 7 योम के की जाकर रिपोर्ट से अवगत करावे।

संलग्नः– उक्तानुसार।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.10.10 16:09:20 IST
Reason: SelfAttested